

06/04/21

कोविड संक्रमण एवं पंचायत आम चुनाव 2020 में चलते प्रकरण में नियत इजाजती पेशियों से पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्राची एवं विवादित पक्षकारान को प्रकरण में कई बार आवाज लगावई गई। वकील प्राची अबवा विवादित पक्षकारान में से कोई भी हाजिर अदालत नहीं आया। अतः प्रकरण अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फंसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तन्मूल दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 06/04/2021 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(शर्केश कुमार)  
उपखण्ड अधिकारी  
खण्डेला (सीकर)  
उपखण्ड अधिकारी  
खण्डेला (सीकर)

1.  
2.  
3.

श्री